न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 5/2018(राजस्व वाद) तारीख दायर – 30.1.2018

तारीख फैसल – 03-02-2021

अनवान

1– श्री पंचाल(लौहार चोकरा बैताली)समाज डूँगरपुर जरिये अध्यक्ष पंचाल समाज डूँगरपुर

(वादी)

बनाम

1– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदारजी तहसील सागवाडा

2–श्री विक्रान्त पिता रमणलाल जैन निवासी भीलूडा

3– श्री देवीलाल पिता उद्धवजी कलाल निवासी सूरजगांव

(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादीगण– –

वाद बाबत नक्शे में पूरे रकबें की पैमुदगी

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी (लौहार चोकरा बैताली)समाज डूँगरपुर को सागवाडा में दिनांक 13.2.1991 को मौजा सागवाडा के खसरा नम्बर 5498/2 की रकबा 15 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा छात्रावास भवन के निर्माण के प्रयोजन के लिये 30 वर्ष की लीज पर राज्य सरकार के द्वारा आवंटित किया गया । यह कि वादी को राज्य सरकार ने खसरा नम्बर 5498/2 की 5 बिस्वा भूमि आवंटित कर मोके पर उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जो वादी को आवंटित भूमि का नवीन खसरा नम्बर 5498/2/2 पडा । आवंटन के समय से वादी का ही उक्त भूमि पर कब्जा है एवं इसके कुछ भाग पर उसने छात्रावास भवन का निर्माण कार्य किया है एंव कुछ भाग पर नींव भर रखी है ।

यह कि वर्तमान में वादी को आवंटित भूमि का नवीन नम्बर 5498/4पडा है। वादी के अलावा खसरा नम्बर 5498/4 की भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा नही है । वादी को खसरा नम्बर 5498/2 की भूमि में से 5 बिस्वा भूमि आवंटित कर कब्जा तो सुपुर्द कर दिया गया लेकिन गलती से राजस्व रेकार्ड के नक्षे में आवंटित भूमि का पूरा 5 बिस्वा पैमुद करने के बजाय करीब ढाई बिस्वा

भूमि ही पैमुद की गई । राजस्व रेकार्ड में वादी की भूमि कम पैमुद होने से कतिपय व्यक्ति वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने पर उतारू हो रहे है जिस पर वादी ने अपनी आराजी की नपती कराई तो पता चला कि उसकी आवंटित व कब्जे शुदा भूमि के अनुरूप राजस्व विभाग के नक्शे में 5 बिस्वा भूमि पैमुद नही कर करीब ढाई बिस्वा भूमि पैमुद की गई है । वादी एक समाजिक संस्था है उसको भूमि की कम पैमुदगी होने से वह अपनी भूमि पर निर्माण कार्य नही कर पा रहा है ,राजस्व विभाग को वादी की आवंटित 5 बिस्वा भूमि पैमुद करनी चाहिए थी । यह कि वादी की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो वादी ने बडी मुश्किल से रेाका उसके बाद राजस्व कर्मियों ने मोका देखा तब वादी को पता चला कि उसकी पूरी 5 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में पैमुद नही की गई है । यह कि नक्शे में वादी की भूमि उसके आवंटन व कब्जे के अनुसार पैमुद नही होने से मोके पर विवाद हो रहा है एवं त्रूटि का फायदा उठाकर वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है । वादी राजस्व विभाग के नक्शे में हुई त्रूटि को सुधार करवा कर अपनी पूरी 5 बिस्वा भूमि को तरमीम पैमुद कराने का अधिकारी है ।

वादी ने वाद के अन्त में राजस्व रेकार्ड मौजा सागवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 5498/4 की सम्पूर्ण 5 बिस्वा जमीन का पैमुद कराने निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल जमाबन्दी,नामान्तरकरण एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब की आवश्यकता नही होना जाहीर कर रेकार्ड के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया जाने से वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई ।

वादी की ओर से जगदीश पिता रघुनाथ पंचाल निवासी झौसावा अध्यक्ष पंचाल(लौहार चोकरा बैताली)के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिवादी की ओर से पैरोकार ने जिरह नही करते हुए बहस के लिए सहमत होने से बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया ।

दौराने अवसर बहस के श्री तेजसिंह पिता मोहनसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का प्रस्तुत किया जिसकी नकल वकील वादी को दी जाकर वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र एंव मौका रिपोर्ट तहसील हेतु अवसर प्रदान किया गया।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का जवाब प्रस्तुत किया जाने पर प्रार्थना पत्र के कम में बहस सूनी गई । दिनांक 7.9.2020 को तेजसिंह के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पर अभिभाषक द्वारा नोट प्रेस करने से प्रार्थना पत्र

खारीज किया जाने आदेश दिए गए । दौराने बईन्तजार तहसील रिपोर्ट श्री विक्रान्त पिता रमणलाल जैन निवासी भीलूडा एवं देवीलाल पिता उद्धवजी कलाल निवासी सूरजगांव के द्धारा आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 21.10.2020 को स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाये जाने आदेश दिए गए एवं जवाब हेतु अवसर प्रदान किया गया ।

श्री विक्रान्त एंव देवीलाल द्धारा दिनांक 16.12.2020 को वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाने पर उभयपक्ष वकील की बहस सूनी गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादी (लौहार चोकरा बैताली)समाज डूँगरपुर को सागवाडा में दिनांक 13.2.1991 को मौजा सागवाडा के खसरा नम्बर 5498/2 की रकबा 15 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा छात्रावास भवन के निर्माण के प्रयोजन के लिये 30 वर्ष की लीज पर राज्य सरकार के द्धारा आवंटित किया जाना एंव राजस्व रेकार्ड में पूरा पैमुद नही किए जाने से सम्पूर्ण आंवटित रकबा 5 बिस्वा पैमुद किए जाने का निवेदन किया गया ।

पैरोकार सरकार द्धारा अपनी बहस में पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 3.5.2018 के अनुसार आराजी नमबर 5498/4 रकबा 5 बिस्वा किस्म आबादी अध्यक्ष पंचाल समाज (लौहार चोखला बेतालीस)दर्ज रेकार्ड होकर छात्रावास के प्रयोजन हेतु आवंटन होना ,मोके पर 12.50गूणा 31 वर्गमीटर पर वर्तमान में भवन बना होकर दक्षिण दिशा की तरफ तीन फीट की गली ,इसप्रकार 5 बिस्वा भूमि एंव मौके पर गली के आगे छः फीट नींव भरी हुई स्थित होना ,आवंटन के मुकाबले राजस्व नक्षे में वर्तमान में जो पैमुदगी है वह कम होकर लगभग तीन बिस्वा होना बताते हुए बताया है कि वर्तमान राजस्व नक्शे की पैमुदगी एवं सही पेमुदगी का प्रथक प्रथक नक्शा ट्रैस पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है ।

श्री विक्रान्त एवं देवीलाल द्धारा अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में पंचाल समाज को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 5498/4 किस्म आबादी के समीप उत्तर पश्चिम की तरफ उनकी आबादी भूमि का प्लॉट स्थित है जो खसरा नम्बर 5500/1 रकबा 4 बिस्वा क्रय कर भू परिवर्तन के उपरान्त नगरपालिका सागवाडा से पट्टा प्राप्त कर पंजियन दिनांक 21.6.2019 को कराया है एवं तबसे उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। इस भूमि के पूर्व की ओर आम रास्ता हो चारो तरफ बाउण्डरी बनी हुई है जिससे आना जाना व उपयोग उपभोग कर रहे है।जवाब के अन्त में यह भी बताया है कि अगर न्यायालय को यह लगता हळै कि वादी पंचाल समाज को आवंटित भूमि को नक्शे में पैमुद किया जाना आवश्यक है तो पैमुदगी करते समय इनके आवागमन के मार्ग को ध्यान में रखते हुए पैमुदगी के आदेश प्रदान करें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा प्राप्त जवाब का अध्ययन किया ।

रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक 57 दिनांक 3.5.2018 में आराजीनम्बर 5498/4 रकबा 0.05 बिस्वा किस्म आबादी अध्यक्ष पंचाल समाज जिला डूँगरपुर (लोहार चोखला बेताली)राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर छात्रावास प्रयोजन हेतु आंवटित है। मोके पर 12.50 गूणा 31 वर्ग मीटर पर वर्तमान में भवन बना होकर दक्षिण दिशा की ओर तीन फीट की गली है इस प्रकार लगभग 5 बिस्वा भूमि है एंव मौके पर गली के आगे छः फीट नींव भरी हुई स्थित है । रिपोर्ट में आवंटन के मुकाबले राजस्व नक्शे में वर्तमान में जो पैमुदगी है वह कम होकर लगभग तीन बिस्वा होना बताते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे की पैमुदगी एवं सही पैमुदगी का प्रथक प्रथक नक्शा ट्रैस संलग्न किया गया है । वादी की ओर से भी वाद में मुख्य तथ्य आवंटन के मुकाबले नक्शे में कम पैमुदगी होने से सही पैमुदगी की ही दाद चाही गई है। प्रतिवादी 2 एवं 3 क्रमशः विक्रान्त एवं देवीलाल द्धारा भी अपने जवाब में उनके प्लॉट में आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए पैमुदगी में कोई आपत्ति नही होना बताया गया है ।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के आबादी प्लॉट में आने जाने के रास्ते में कोई व्यवधान नही हो ,इस शर्त पर तहसील रिपोर्ट दिनांक 3.5.2018 के संलग्न प्रस्तुत सही पैमुदगी के नक्शा ट्रैस अनुरूप वादीगण को आवंटित भूमि की पैमुदगी किए जाने तहसीलदार सागवाडा कों आदेश दिया जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो । तहसील रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रैस परिशिष्ठ – अ डिक्री /निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 03-02-2021. को सरे ईजलास सुनाया गया ।पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा